कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन / फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक :2141 /12–1 नई टिहरी, दिनांक– 11/3/ 2026

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास,
एवं निर्माण निगम, घनसाली (टिहरी गढ़वाल)।

विषयः– **जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पंम्पिग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.359 है0 का वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम घनसाली को 30 वर्षो की लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में (FP/UK/WATER/41575/2019)।**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं0–08बी / यू0सी0पी0 / 09 / 44 / 2020 / एफ0सी0 / 1820, दिनांकः–23.12.2025 एवं आपका कार्यालय पत्रांक–230 / 124 / 11, दिनांक–09.03.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र से विषयगत परियोजना में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके क्रम में वांछित धनराशि जमा करने हेतु संशोधित डिमाण्ड नोट निम्नानुसार प्रेषित है:–

शर्त सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
1–	(क) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता ऐजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तो का पालन करना आवश्यक है। 1. प्रतिपूरक वनीकरण :– क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर Balgana Range, Chamiyala में 359 पौधों का प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजतियों को लगाया जाए तथा प्रजतियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो व वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	<u>359 पौधों के प्रतिपूरक वनीरण हेतु वांछित धनराशि</u> • वर्ष 2025–26 हेतु निर्धारित दर - रू0 2143.00 प्रति पौध • 359 पौधों के वनीकरण हेतु कुल वांछित धनराशि = 359 x 2143 = रू0 769337.00 (सात लाख उन्हत्तर हजार तीन सौ सैंतीस रूपये मात्र)
	ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
	ग) State government shall submit KML file of CA area along with the compliance report of stage-I.	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2–	शुद्ध वर्तमान मूल्य क) इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (c) संख्याः 202 / 1995 में IA नी 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ0सी pt-2) दिनांक–18.09.2003,5–2 / 2006–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.359 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	<u>एन0पी0वी0 की धनराशि :–</u> • हस्तान्तरित क्षेत्रफल–0.359 है0 • एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि–1005210.00 / है0 एन0पी0वी0 की धनराशि–0.359 x 1005210.00 = 360870.00 (तीन लाख साठ हजार आठ सौ सत्तर रूपये मात्र)
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जे अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा तथा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
3–	*This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t. Hon'ble supreme court orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025 and 04.03.2025*	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
4–	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 21 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	
5–	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पाल करेगी तथा ***mitigative measures*** में दिये गए प्रावधानों के अनुसार ***Under pass/Overpass,*** अन्य कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा तथा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
6–	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा तथा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
7–	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सकरार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविध नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8–	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहल चकरण–द्वितीय का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9–	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10–	परियोजना के तहल प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जांएगे।	**प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त संख्या–1.1(क), 2(क) तथा 16 में उल्लिखित धनराशि का ऑनलाईन चालान जनरेट कर कैम्पा कोष में जमा किया जायेगा।**
11–	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
(ख)	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तो का सख्ती से पालन करे की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–द्वितीय अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	
1–	वन भूमि की विधक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2–	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3–	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकारण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
4–	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
5–	वैकल्पिक/प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6–	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8–	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9–	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10–	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11–	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

12–	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए लिए वन क्षेत्रों के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13–	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14–	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15–	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16–	*The State Forest Department shall prepare wildlife mitigation Management plan (WLMP) or soil and Moisture conservation Plan (SMCP) at the cost of user agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicatve financial outlay totalling to 2% (for WLMP)or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.*	**WLMP की धनराशि** = 5,18,000.00 (पांच लाख अठाहर हजार रू0 मात्र) **SMCP की धनराशि** = 2,00,000.00 (दो लाख रू0 मात्र)
17–	*The Usr Agency in cosulation with the state Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human Settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.*	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा तथा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
18–	*The user agency shall assist the state Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the chief wildlife warden of the state, if applicable.*	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा तथा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
19–	*The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable.*	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20–	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय /अनुदेश आदि इस प्रसतव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21–	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन0जी0टी0) के आदेश (आदेशों) के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22–	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं सवर्धन) नियम, 2023 के अंतर्गत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार **शर्त संख्या–1.1(क), 2(क) तथा 16** में उल्लिखित धनराशि को **ऑनलाईन कैम्पा कोष** में जमा करना सुनिश्चित करें एवं साथ ही **"यदि भविष्य में उक्त धनराशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि भी वन विभाग के पक्ष में जमा किया जाएगा"** सम्बन्धी एक वचनबद्धता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा। धनराशि जमा करने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय संलग्नक 04 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी।

पत्रांक :– 3141 / **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध से प्रेषित कि उक्त डिमाण्ड नोट को अपने स्तर से ऑनलाईन सत्यापित/पुष्टि करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः– वन क्षेत्राधिकारी, बालगंगा राजि को इस निर्देश से प्रेषित कि याचक विभाग से सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालन करवाना तथा **शर्त संख्या–16** के क्रम में *wildlife mitigation Management plan (WLMP) & soil and Moisture conservation Plan (SMCP)* तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।